उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-11/2016/2410 /24-पी-2-16-सा0(80)/2016

लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अतुल निगम, मुख्य अभियंता, आगरा जोन आगरा, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अतुल निगम पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

संख्याः-11/2016/2410 (1)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल वितरण विद्युत निगम लि0, आगरा।
8- निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
9- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
10- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-11/2016/2410(2) /24-पी-2-16-सा0(80)/2016

लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री मोहित आर्या, महानिदेशक (टी0एण्डएच0आर0डी0) विद्युत ट्रेनिंग इन्सटीटयूट, सरोजनीनगर, लखनऊ को निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री मोहित आर्यापर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

संख्याः-11/2016/2410(3)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
10- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-11/2016/2410(4)/24-पी-2-16-सा0(80)/2016

लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राकेश कुमार, निदेशक (वित्त), केस्को-कानपुर को निदेशक (वित्त), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री श्री राकेश कुमार पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

संख्याः-11/2016/2410(5)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
10- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-11/2016/2410(6) /24-पी-2-16-सा0(80)/2016

<u>लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2016</u>

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री पवन कुमार अग्रवाल, महाप्रबन्धक (अकाउण्ट एवं आडिट), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को निदेशक (वित्त), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री पवन कुमार अग्रवाल पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्याः-11/2016/2410(7)/24-पी-2-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
10- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-11/2016/2410(8)/24-पी-2-16-सा0(80)/2016

लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अनिल कुमार अवस्थी, महाप्रबन्धक (अकाउण्ट एवं आडिट), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को निदेशक (वित्त), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अनिल कुमार अवस्थी पर शासन द्वारा निर्गत सेवा शर्तें लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

संख्याः-11/2016/2410(9)/24-पी-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- कम्पनी सचिव/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।
8- निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- निजी सचिव, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
10- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in